प्रेस विज्ञप्ति
30.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत4 . 05करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने उत्तर पुलिस, पु.था. कैंट, वरुणा आयुक्तालय, वाराणसी द्वारा भा.दं.सं., 1860की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी आयकर विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जाली परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर कंपनी विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने आयकर अधिनियम ,1961 की धारा80 आईबी के तहत कटौती का दावा किया था। मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जैसा कि बिल्डर कंपनी ने दावा किया था कि यह वाराणसी विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया था परंतु कंपनी द्वारा उपरोक्त कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे जाली बनाया गया और धोखाधड़ी से वास्तविक प्रमाण-पत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ईडी को भी यह जानकारी दी थी कि मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर के धारा 80 आईबी) 10 (के तहत फर्जी कटौती का लाभ उठाया है।

चूंकि मामले में अनुसूचित अपराध शामिल था और अपराध से बड़ी आय) पीओसी (उत्पन्न हुई थी ,इसलिए ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) ,2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की और जांच के दौरान यह पता चला कि मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवासीय प्रोजेक्ट" वरुणा गार्डन "के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी परियोजना पूर्णता प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में हेराफेरी की थी ताकि आयकर अधिनियम ,1961 की धारा80 आईबी) 10 (के तहत अनुचित कटौती का दावा किया जा सके जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

आगे की जांच जारी है।